रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 553] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 20, 1985/कार्तिक 29, 1907
No. 553] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOV 20, 1985/KARTIKA 29, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

(वस्त्र विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 15 नवम्बर, 1985

का आ 839 (अ)—केन्द्रीय सरकार, जूट विनिर्माण विकास परिषद् अधिनियम, 1983 (1983 का 27) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2—खण्ड 3—उपखण्ड (2), तारीख 1 मई, 1984 में प्रकाशित भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय (वस्त्र विभाग)

की अधिसूचना सं. का. आ. 337(अ) तारीख 1 मई 1984 में निम्नलिखित संशोधन करती है :—

उक्त अधिसूचना में, प्रविष्टि 7 के सामने

"श्री एस. कानन" प्रविष्टि के स्थान पर "श्री आर. रामानुजम" प्रविष्टि रखी जाएगी ।

[सं० 5/15/83-ईपी(टी एण्ड जे) 3]
जे. के. बागची, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE

(Department of Textiles)

ORDER

New Delhi, the 15th November, 1985

S.O. 839(E) :—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Jute Manufactures Development Council Act, 1983 (27 of 1983), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Commerce (Department of Textiles) No. S. O. 337 (E) dated the 1st May, 1984, published in the Gazette of India Extraordinary Part II Section 3 Sub-Section (ii), dated the 1st May, 1984 :—

In the said notification, against entry 7, for the entry "Shri S. Kannan", the entry "Shri R. Ramanujam" shall be substituted.

[No. 5/15/83-EP (T&J) III.]
J. K. BAGCHI, Jt. Secy

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1985